दौलाराम बनाम खेताराम
2024 / 103
निर्णय दिनांक:–11-03-2025

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

घोरीमन्ना–बाडमेर
(पीठासीन अधिकारी –भागीरथराम आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:–2024 / 103 दर्ज तिथि:–29.05.2024

1. दौलाराम पुत्र सुजाराम
जाति जाट निवासी दुर्गाराम जांदु की ढाणी,भीमथल, तहसील धोरीमन्ना जिला बाडमेर
– प्रार्थी

बनाम

1. खेताराम पुत्र मोडाराम
2. अणदाराम पुत्र तेजाराम
3. जेती पत्नी तुलछाराम
4. मघीदेवी पत्नी तेजाराम
5. मालाराम दतक पुत्र तुलछाराम
6. रामाराम पुत्र तेजाराम
7. वेहनाराम पुत्र तेजाराम
8. सोनाराम पुत्र तेजाराम
9. गंगाराम पुत्र भूराराम
10. भूराराम पुत्र देराजराम
11. रंभा पत्नी दुदाराम
12. कुम्भाराम पुत्र टीपू
13. जुगताराम पुत्र केसाराम
14. देऊ पुत्री टीपू
15. दूदाराम पुत्र टीपू
16. दमाराम पुत्र डालूराम
17. रावताराम पुत्र भीयाराम
18. हनुमानराम पुत्र बाबूलाल
19. कुम्भाराम पुत्र टीकमाराम
20. खेतु पुत्री राजूराम
21. गंगाराम पुत्र अचलाराम
22. रामाराम पुत्र मेरामाराम
23. वगताराम पुत्र सोनाराम
24. वाली पुत्री राजूराम
25. खेताराम पुत्र मोडाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.03.26 14:13:10 IST
Reason: SelfAttested

26. भूराराम पुत्र देराजराम
27. मूली देवी पत्नी विकारा
28. भैराराम पुत्र देराजराम
29. डाऊदेवी पत्नी उमाराम
30. खींयाराम पुत्र डालूराम
31. नारणाराम पुत्र डालूराम
32. मुकनाराम पुत्र डालूराम
33. मलाराम पुत्र लाभूराम
34. वेहनाराम पुत्र लाभूराम
35. ईश्वर पुत्र डालूराम
36. हरखू पत्नी लाभूराम
37. शेराराम पुत्र सोनाराम
38. किशनाराम पुत्र जोधाराम
39. पीराराम पुत्र जोधाराम
40. भाखराराम पुत्र जोधाराम
41. श्रामाराम पुत्र जोधाराम
42. सेनी पत्नी जोधाराम
43. अणसी पत्नी भंवराराम
44. डूंगराराम पुत्र रायचन्द
45. प्रकाश पुत्र भंवराराम
46. भोमाराम पुत्र रायचन्द
47. वरजू पत्नी रायचन्द
48. रंभा पत्नी दुदाराम
49. डाऊदेवी पत्नी उमाराम

जाति जाट निवासी दुर्गाराम जांदु की ढाणी भीमथल तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

.......................असल अप्रार्थीगण

50. तहसीलदार धोरीमन्ना।

.... तकमीली अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः– श्री काछबाराम
अप्रार्थीगण– एक तरफा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–111,128
राजस्थान भू–राजस्व अधि–1956

–:निर्णय:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.03.26 14:13:10 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय तिथिः–11.03.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधि–1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की हाल आराजी खसरा संख्या 396 / 323 / 6.6369 है0, 352 / 2.1289 है0, 9 / 5.3742 है0, 322 / 0.0567 है0 वांके ग्राम

दुर्गाराम जांदु की ढाणी पटवार हल्का भीमथल तहसील धोरीमन्ना जिला बाडमेर में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है एवं आराजी पर प्रार्थीगण काबिज रहकर बिना किसी बाधा वो रूकावट के काश्त करते चले आ रहे है। उक्त खातेदारी आराजी से अप्रार्थीगण का कोई हक संबंध किसी प्रकार का नहीं है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजी के कार्यकाश्त में बाधा डालते हैं। उक्त आराजी का मौके पर सीमांकन नहीं होने से प्रार्थीगण द्वारा सीमांकन कराए जाने बाबत तहसीलदार धोरीमन्ना के यहां प्रार्थना–पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार धोरीमन्नाके आदेश दिनांक 09.04.2024 के तहत हल्का पटवारी द्वारा सीमाज्ञान कार्यवाही शुरू की गई परन्तु पडौसी खसरों के खातेदार/अप्रार्थीगण द्वारा पैमाईश की कार्यवाही पूर्ण नहीं करने दी तथा झगडे पर उतारू होकर प्रार्थीगण की आराजी को अपनी आराजी में मिलाना चाहते है। अब प्रार्थीगणअपनी आराजी खसरे की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अंत में प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी उक्त की पत्थरगढ़ी जाने के आदेश जारी करने का निवेदन किया गया।

2. प्रार्थीगणका प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद विधिवत तामील अनुपस्थित होने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी।

3. न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार कर आराजी की पैमाईशकी जाकर पत्थरगढ़ी के आदेश जारी करने का निवेदन किया है।

4. मैंने बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

> ***111. Decision of disputes as to boundaries.***—*(1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.*
>
> *(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it if is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.*

5. राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 के अनुसार खसरों की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा [illegible] राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित [illegible] बनाये गये है। खसरों की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 [illegible] गये है। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.03.26 14:13:10 IST
Reason: SelfAttested

***128. Boundary disputes. -** All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111:*

***Provided that** applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.*

6. उक्त विधिक प्रावधानों के संदर्भ में पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी अंतिम चौसला आधार संवत् 2073—76 जमाबंदी 2077 (वर्ष 2021) से स्थाई वाके ग्राम दुर्गाराम जांदु की ढाणी भीमथल में राजस्व इन्द्राज एवं तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा किये गये सीमांकन रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड वाकेग्राम आदर्श लूखू के अंकित इन्द्राज के अनुसार उक्त आराजीप्रार्थीगण की सालिम खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाइश दिनांक 11.04.2024 से भी यह तथ्य प्रार्थीगण साबित है कि प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार धोरीमन्ना के माध्यम से हल्का पटवारी से युक्त वर्णित आराजी की पैमाइश करवाई लेकिन विप्रार्थीगण द्वारा विवाद करने पर कार्यवाही पूर्ण नहीं करवाई जा सकी।तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार उक्त वर्णित आराजी की खसरे की सीमाओं को लेकर अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद है। इस प्रकार प्रार्थीगण की अपनी कब्जेशुदा खातेदारी आराजी की सुरक्षा तथा सीमा विवाद के निस्तारण हेतु पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना—पत्र प्रार्थीग अंतर्गत धारा—128 भू—राजस्व अधिनियम—1956 के बाबत् पत्थरगढ़ी किये जाने का स्वीकार किया जाता है। हाल आराजी खसरा संख्या 396/323/6.6369 है0, 352/2.1289 है0, 9/5.3742 है0, 322/0.0567 है0 वांके ग्राम दुर्गाराम जांदु की ढाणी पटवार हल्का भीमथल तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर पर प्रार्थी एवं संबंधित पक्षकारों/हितधारकों की पूर्व सूचित उपस्थिति में खातेदारी आराजी पर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश तहसीलदार धोरीमन्ना को दिये जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थीगण को मौके पर उपस्थित रहने बाबत जरिये नोटिस पूर्व सूचित करते हुए पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को अवगत करायें। पक्षकार अपना—अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

आदेश प्रतिपालनार्थ हेतु तहसीलदार धोरीमन्ना को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 11.03.2025 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.03.26 14:13:10 IST
Reason: SelfAttested

(भागीरथराम आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना (बाड़मेर)
सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

सहायक कलक्टर • जिला-बाड़मेर
सत्यमेव जयते